Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

154-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 28, 2015 (BHADRA 6, 1937 SAKA)

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 28 अगस्त, 2015

संख्या ई0सी0ए02–2015/789.— ग्राम पंचायत ढाकवाला के विभाजन के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 2 मार्च, 2015 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए02–2015/627 दिनांक 2 मार्च, 2015 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला यमुनानगर की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:–

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	छछरौली	ढाकवाला	7	3	1	1	1	3
2	छछरौली	दौलतपुर	7	3	0	0	1	3

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

आदेश

दिनांक 28 अगस्त, 2015

संख्या ई0सी0ए05–2015/790.— गांव ढेकडी व ग्यासनियाबास की फिरोजपुर झिरका (ग्रामीणं) के नाम से पंचायत की स्थापना के फलस्वरूप हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6 जनवरी, 2015 में प्रकाशित इस विभाग के आदेश संख्या ई0सी0ए05–2015/621 के आंशिक संशोधन में हरियाणा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 3, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11) की धारा 9 के साथ पठित, के अनुसरण में यह आदेश दिया जाता है कि जिला मेवात की ग्राम पंचायत में, इसके द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव के प्रयोजनार्थ पंचों की ऐसी संख्या होगी जो नीचे दी गई अनुसूची के प्रत्येक के खाने के सामने खाना 4 से 9 के नीचे यथावर्णित है:–

अनुसूची

1	2	3	4	5	6	7	8	9
क्र0 सं0	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल सीट	महिलाओं हेतु आरक्षित (अनुसूचित जाति की महिलाओं सहित)	अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित	खाना संख्या 6 में से अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु आरक्षित	पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित	अनारक्षित
1	फिरोजपुर झिरका	फिरोजपुर झिरका (ग्रामीण)	8	3	2	1	1	3

राम निवास,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 2015

संख्या 21/एस0टी0–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2015.— चूंकि, हरियाणा राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप–धारा (1) के साथ पठित, उक्त उप–धारा के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी व कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 18/एस0टी0–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2015, दिनांक 15 जुलाई, 2015, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी व कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 18/एस0टी0–1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2015, दिनांक 15 जुलाई, 2015 में, द्वितीय पैरा में, "तुरन्त प्रभाव से", शब्दों के स्थान पर, "15 तथा 16 जुलाई, 2015 की आधी रात से" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

रोशन लाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 28th August, 2015

No.21/ST-1/H.A. 6/2003/S.59/2015. - Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist, which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 59 read with proviso to said Sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003(6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.18/ST-1/H.A.6/2003/ S.59/2015, dated the 15th July, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.18/ST-1/H.A.6/2003/ S.59/2015, dated the 15th July, 2015 in the second para, for the words "with immediate effect", the words and figures "with effect from the midnight of 15th and 16th July, 2015" shall be substituted.

ROSHAN LAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

53652—C.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

154-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 28, 2015 (BHADRA 6, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th August, 2015

No.8-HLA of 2015/69/13643.—The Haryana Police (Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 8- HLA of 2015.

THE HARYANA POLICE (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Police Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Police (Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In the Haryana Police Act, 2007 (hereinafter called the principal Act), for sub-section (2) of section 4, the following sub-section shall be substituted, namely:- Amendment of section 4 of Haryana Act 25 of 2008.

"(2) The direct recruitment to various non-gazetted ranks in the police service shall be made through the Haryana Staff Selection Commission and gazetted posts shall be made through Haryana Public Service Commission as per relevant applicable service rules, by adopting a transparency process.".

Substitution of section 4A of Haryana Act 25 of 2008.

3. In the principal Act, for existing section 4A, the following section shall be substituted, namely:-

"4A. Dissolution of State Level Recruitment Board.- (1) The State Level Recruitment Board constituted *vide* Haryana Government, Home Department, Notification No. S.O.52/H.A. 25/2008/S.4A/2013, dated the 15th May, 2013 is hereby dissolved.

(2) Notwithstanding such dissolution,-

(a) anything done or any action taken by the State Level Recruitment Board shall not be invalidated;

(b) all the recommendations made by the State Level Recruitment Board, pending with the Home Department shall be subject to the approval of the Government;

(c) proceedings pending before the State Level Recruitment Board, before dissolution shall stand transferred to the Haryana Staff Selection Commission; and

(d) all the assets of the State Level Recruitment Board shall vest in the Home Department.".

Omission of section 4B to 4G of Haryana Act 25 of 2008.

4. Section 4B to 4G of the principal Act shall be omitted.

Repeal and savings.

5. (1) The Haryana Police (Amendment) Ordinance, 2015 (Haryana Ordinance No.1 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas it is expedient to abolish multiple recruitment agencies in the State for recruitment of Group-C posts and whereas more than 12,000 posts of Police Constables and Sub Inspectors are lying vacant and there is an urgent need to fill up these vacant posts. It is considered necessary and expedient to entrust the direct recruitment of non-gazetted ranks of the Police Department to the already existing independent recruitment body the Haryana Staff Selection Commission. Hence the Bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 28th August, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 8–एच.एल.ए.

हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2015
हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007,
को आगे संशोधित करने
के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 4 का संशोधन।

2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 4 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''(2) पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए, सुसंगत लागू सेवा नियमों के अनुसार पुलिस सेवा में सीधी भर्ती, विभिन्न अराजपत्रित पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी तथा राजपत्रित पदों के लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी।''।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 4क का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम में, विद्यमान धारा 4क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''4क. राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड का विघटन.– (1) हरियाणा सरकार, गृह विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ052/ह0अ025/2008/धारा 4क/2013, दिनांक 15 मई, 2013 द्वारा गठित राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड इसके द्वारा विघटित किया जाता है।

(2) ऐसे विघटन के होते हुए भी,–

(क) राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड द्वारा की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई अमान्य नहीं होगी ;

(ख) गृह विभाग के पास लम्बित, राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड द्वारा की गई सभी सिफारिशें सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन होंगी ;

(ग) विघटन से पूर्व, राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड के समक्ष लम्बित कार्यवाहियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अन्तरित हो जाएंगी ; तथा

(घ) राज्य स्तरीय भर्ती बोर्ड की सभी आस्तियां गृह विभाग में निहित होंगी।''।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 4ख से 4छ का लोप।

4. मूल अधिनियम की धारा 4ख से 4छ का लोप कर दिया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि राज्य में वर्ग–ग की भर्ती के लिए कई भर्ती एन्जेसियों को खत्म करना फायदेमंद है और जबकि पुलिस विभाग में सिपाही और उप–निरीक्षकों के 12 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं और इन रिक्त पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है। पुलिस विभाग के अराजपत्रित पदों की सीधी भर्ती मौजूदा स्वतन्त्र भर्ती निकाय, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, को सौंपना आवश्यक और फायदेमंद समझा गया है। इसलिए यह बिल प्रस्तुत है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 अगस्त, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53650—H.V.S.—H.G.P., Chd.

Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

154-2015/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 28, 2015 (BHADRA 6, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 28th August, 2015

No. 9-HLA of 2015/70/13651.—The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2015 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 9- HLA of 2015.

THE HARYANA GOOD CONDUCT PRISONERS (TEMPORARY RELEASE) AMENDMENT BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2015.

Amendment of Section 5A of Haryana Act 28 of 1988.

2. For sub-section (2) of section 5A of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988, the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a convicted hardcore prisoner who has not been awarded death penalty, may be entitled for temporary release or furlough only if he has completed his five years imprisonment and has not been awarded any major punishment by the Superintendent of Jail, as judicially appraised by the concerned District and Sessions Judge:

Provided that the five year imprisonment period shall not include imprisonment during trial period for more than two years, while counting five years of imprisonment:

Provided further that if the prisoner so released under this sub-section violates any condition of temporary release or furlough, he shall be debarred from such release in future.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2012, 2013, 2014 was notified on 01.10.2012, 02.01.2013 & 21.02.2014 respectively in order to prevent commission of crimes during the period of temporary release and furlough and to reduce the possibility of absconding during the said period. The existing provisions of the Act put a blanket ban on undertrial period being considered for purpose of temporary release and furlough in heinous crimes. Thus, a contrary situation has arisen that the reformatory measures start only post-conviction. Therefore, it has become necessary to include the undertrial period for considering the case of temporary release and furlough. Hence, this Bill.

BIKRAM SINGH YADAV,
Minister of State for
Co-operation and Printing & Stationery,
Haryana.

.

Chandigarh:
The 28th August, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 का विधेयक संख्या 9–एच.एल.ए.

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2015
हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988, को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

1988 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 5क का संशोधन।

2. हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम, 1988 की धारा 5क की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सिद्धदोष कट्टर बंदी जो मृत्यु शास्ति से दण्डित नहीं किया गया है, केवल अस्थाई रिहाई या फरलो के लिए हकदार होगा, यदि उसने अपनी पांच वर्ष की कारावास पूर्ण कर ली है तथा सम्बद्ध जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायिक रूप से मुल्यांकित, जेल अधीक्षक द्वारा किसी बड़े दण्ड से दण्डित नहीं किया गया है :

परन्तु पांच वर्ष की कारावास अवधि में पांच वर्ष की कारावास की गणना करते समय दो वर्ष से अधिक की विचारण अवधि के दौरान की कारावास शामिल नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि इस उप–धारा के अधीन इस प्रकार रिहा किया गया बंदी अस्थाई रिहाई या फरलो की किसी शर्त की उल्लंघना करता है, तो वह भविष्य में ऐसी रिहाई से विवर्जित हो जाएगा।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन अधिनियम, 2012, 2013, 2014 के माध्यम से कुछ संशोधन किए गये जो दिनांक 01.10.2012, 02.01.2013 व 21.02.2014 को अधिसूचित किए गए थे ताकि पैरोल और फरलो पर रिहाई के दौरान बन्दियों को अपराध करने से रोका जा सके व पैरोल/फरलो के दौरान उनके भगौड़ा होने की सम्भावना को कम/खत्म किया जा सके। मौजूदा अधिनियम के आदेशों में कट्टर बन्दियों की अस्थाई रिहाई व फरलो को विचारे जाने के लिए विचाराधीन अवधि को पूर्णत: प्रतिबन्धित किया गया है। जिस कारण प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन हो गई है कि सुधारवादी उपाय केवल बन्दी ठहराये जाने के बाद से शुरू होते हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि अस्थाई रिहाई व फरलो को विचारते समय विचाराधीन अवधि को शामिल किया जाए। इसलिये यह बिल प्रस्तुत है।

बिक्रम सिंह यादव,
सहकारिता, मुद्रण व लेखन साम्रगी,
राज्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 28 अगस्त, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53650—H.V.S.—H.G.P., Chd.